प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- दुग्ध़शाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी, आगरा, मैनपुरी, झाँसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बाँदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज (इलाहाबाद), प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या(फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, बहराईच, गोण्डा ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 02 दिसम्बर, 2022**

विषय:-अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान योजनान्तर्गत चतुर्थ किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्राक-359/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ीकरण-सामान्य(271)/2022-23, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष (प्रथम किश्त के रूप में रू0 1666.6660 लाख शासनादेश संख्या-13/2022/340/001-53-2099-930-2019, दिनांक 20 मई, 2022, द्वितीय किश्त के रूप में रू0 333.334 लाख शासनादेश संख्या-24/2022/578/001-53-2099-930-2019, दिनांक 01/08/2022 एवं तृतीय किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख शासनादेश संख्या-29/2022/754/002-53-2099-930-2019, दिनांक 30/09/2022 अर्थात कुल धनराशि रू0 3000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत) अवशेष धनराशि रू0 3000.00 लाख में से चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित नियमों/शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम, शर्ते व प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में रखा नहीं जायेगा।

(2) पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किया जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग का होगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी दशा में अनुमन्य नही होगा।

(6) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी और न ही यह कार्य अन्य किसी योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/गाईड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग का होगा।

(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का उत्तरदायित्व रहेगा।

(10) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियत्रंक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है ।

(11) दुग्ध आयुक्त/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(12) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(15) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(16) दुग्ध आयुक्त सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(18) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(19) अवमुक्त की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी ।

(20) संबंधित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्व स्वीकृत धनराशि की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेगें।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ /समितियां अपने संसाधनों से वहन करेंगे।

(22) परिव्यय की उपलब्धता दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा। उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी।

(23) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दुग्ध व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय/ उपयोग नहीं किया जायेगा ।

(24) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों से धनराशि का निर्धारित मदों में उपभोग सुनिश्चित कराते हुए, इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा ।

(25) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(26) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन में उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध् आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धंक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। स्वी्कृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बंध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001020400 वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-251-X-2022-23 दिनांक: 29-11-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-**31**/2022/928/003-53-2099-930-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वतीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाध्िकारी।
11- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
12- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0शासन।
13- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 31/2022/928/003-53-2099-930-2019, दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को वित्तीय स्वीकृति

जिला योजना (सामान्य) **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0सं0	जनपद	आहरण वितरण अधिकारी/ निवर्तन अधिकारी का पदनाम	दुग्ध संघो/समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन व विस्तार(सामान्य)			
			स्वीकृत मदें			कुल धनराशि
			यातायात अनुदान	कार्यशील पूंजी (दुग्ध मूल्य भुगतान)	प्रबन्धकीय अनुदान	
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	दु0वि0अ0 आगरा	0.28870	4.61890	0.86600	5.77360
2	मैनपुरी	उप दु0वि0अ0 मैनपुरी	0.02160	0.34630	0.06490	0.43280
3	मथुरा	दु0वि0अ0 आगरा	1.14660	18.34540	2.44160	21.93360
4	फिरोजाबाद	-तदैव-	0.13510	2.16190	0.40540	2.70240
आगरा मण्डल			**1.59200**	**25.47250**	**3.77790**	**30.84240**
5	अलीगढ़	दु0वि0अ0 आगरा	0.52060	8.33020	1.56190	10.41270
6	हाथरस	-तदैव-	0.18100	2.89650	0.54310	3.62060
7	एटा	-तदैव-	0.81940	13.11060	2.45820	16.38820
8	कासगंज	-तदैव-	0.31100	4.97530	0.93290	6.21920
अलीगढ़ मण्डल			**1.83200**	**29.31260**	**5.49610**	**36.64070**
9	झॉसी	उप दु0वि0अ0 झॉसी	0.97160	15.54550	2.91480	19.43190
10	ललितपुर	-तदैव-	0.58280	9.32440	1.74830	11.65550
11	जालौन(उरई)	उप दु0वि0अ0 जालौन(उरई)	0.13550	2.16730	0.40640	2.70920
झॉसी मण्डल			**1.68990**	**27.03720**	**5.06950**	**33.79660**
12	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	0.13800	2.20800	0.41400	2.76000
13	महोबा	उप दु0वि0अ0 महोबा	0.00980	0.15710	0.02950	0.19640
14	बॉदा	उप दु0वि0अ0 बॉदा	0.07730	1.23660	0.23190	1.54580
15	चित्रकूट(कर्बी)	-तदैव-	0.23110	3.69760	0.69330	4.62200
चित्रकूट धाम मण्डल			**0.45620**	**7.29930**	**1.36870**	**9.12420**
16	लखनऊ	दु0वि0अ0 लखनऊ	4.73560	75.76860	14.20660	94.71080
17	रायबरेली	-तदैव-	1.83850	29.41620	4.51550	35.77020
18	हरदोई	-तदैव-	0.33330	5.33180	0.99970	6.66480
19	उन्नाव	-तदैव-	0.71240	11.39780	2.13710	14.24730
20	सीतापुर	-तदैव-	0.64890	10.38260	1.94680	12.97830
21	लखीमपुर-खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपुर-खीरी	0.54290	8.68590	1.62860	10.85740
लखनऊ मण्डल			**8.81160**	**140.98290**	**25.43430**	**175.22880**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	1.85690	29.70970	10.57060	42.13720
23	बदॉयू	-तदैव-	3.18910	11.02570	2.56730	16.78210
24	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0 पीलीभीत	0.08620	1.37870	0.25850	1.72340
25	शाहजहॉपुर	उप दु0वि0अ0 शाहजहॉपुर	1.17460	58.79420	3.52390	63.49270
बरेली मण्डल			**6.30680**	**100.90830**	**16.92030**	**124.13540**
26	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	8.04770	128.76340	21.14310	157.95420
27	बागपत	-तदैव-	0.32560	5.20990	0.97690	6.51240
28	गाजियाबाद	-तदैव-	0.23410	3.74560	0.70230	4.68200
29	हापुड़	-तदैव-	0.28220	4.51480	0.84650	5.64350
30	गौतमबुद्धनगर(नोएडा)	-तदैव-	1.04580	16.73310	3.13750	20.91640
31	बुलन्दशहर	-तदैव-	0.98200	15.71230	2.94610	19.64040
मेरठ मण्डल			**10.91740**	**174.67910**	**29.75240**	**215.34890**
32	सहारनपुर	दु0वि0अ0 मेरठ	0.14830	2.37330	0.44500	2.96660
33	मुजफ्फरनगर	-तदैव-	0.37450	5.99240	1.12360	7.49050
34	शामली	-तदैव-	0.01930	0.30780	0.05770	0.38480
सहारनपुर मण्डल			**0.54210**	**8.67350**	**1.62630**	**10.84190**
35	मुरादाबाद	उप दु0वि0अ0 रामपुर	1.56090	24.97340	3.18250	29.71680
36	सम्भल	-तदैव-	0.61360	9.81720	1.84070	12.27150
37	अमरोहा	-तदैव-	0.44790	7.16690	1.34380	8.95860
38	रामपुर	-तदैव-	0.35910	5.74470	1.07710	7.18090
39	बिजनौर	-तदैव-	1.18160	18.90520	3.54470	23.63150
मुरादाबाद मण्डल			**4.16310**	**66.60740**	**10.98880**	**81.75930**
40	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	0.18520	2.96330	0.55560	3.70410
41	चन्दौली	-तदैव-	0.90710	14.51320	1.72120	17.14150
42	गाजीपुर	-तदैव-	0.15470	2.47520	0.46410	3.09400
43	जौनपुर	-तदैव-	0.29110	4.65650	0.87310	5.82070
वाराणसी मण्डल			**1.53810**	**24.60820**	**3.61400**	**29.76030**
44	सन्तरविदासनगर	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	0.33990	5.43800	1.01960	6.79750
45	मिर्जापुर	उप दु0वि0अ0 मिर्जापुर	0.29680	4.74870	0.89040	5.93590
46	सोनभद्र	उप दु0वि0अ0 सोनभद्र	0.09080	1.45260	0.27240	1.81580
विन्ध्याॅचल मण्डल			**0.72750**	**11.63930**	**2.18240**	**14.54920**
47	गोरखपुर	उप दु0वि0अ0 गोरखपुर	0.57460	9.19400	1.72390	11.49250
48	महराजगंज	उप दु0वि0अ0 महराजगंज	0.09660	1.54560	0.28980	1.93200
49	देवरिया	उप दु0वि0अ0 देवरिया	0.20000	3.20030	0.60010	4.00040
50	कुशीनगर	-तदैव-	0.04270	0.68330	0.12810	0.85410
गोरखपुर मण्डल			**0.91390**	**14.62320**	**2.74190**	**18.27900**
51	बस्ती	उप दु0वि0अ0 बस्ती	1.21300	19.40860	3.63910	24.26070
52	संतकबीरनगर	-तदैव-	0.01590	0.25390	0.04760	0.31740
53	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0 सिद्धार्थनगर	0.02740	0.43830	0.08220	0.54790
बस्ती मण्डल			**1.25630**	**20.10080**	**3.76890**	**25.12600**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

54	आजमगढ़	उप दु0वि0अ0 आजमगढ़	0.16930	2.70820	0.50780	3.38530
55	मऊ	उप दु0वि0अ0 मऊ	0.00080	0.01290	0.00240	0.01610
56	बलिया	-तदैव-	0.32940	5.27070	0.98820	6.58830
आजमगढ़ मण्डल			**0.49950**	**7.99180**	**1.49840**	**9.98970**
57	प्रयागराज	दु0वि0अ0 प्रयागराज (इलाहाबाद)	1.10950	17.75270	2.82860	21.69080
58	कौशाम्बी	-तदैव-	0.06130	0.98130	0.18400	1.22660
59	फतेहपुर	-तदैव-	0.47380	7.58110	1.42150	9.47640
60	प्रतापगढ़	उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़	0.16860	2.69740	0.50580	3.37180
प्रयागराज मण्डल			**1.81320**	**29.01250**	**4.93990**	**35.76560**
61	कानपुर नगर	उप दु0वि0अ0 कानपुर	0.28870	4.61890	10.86600	15.77360
62	कानपुर देहात	-तदैव-	0.07080	1.13200	0.21220	1.41500
63	फर्रूखाबाद	-तदैव-	0.23840	3.81450	0.71520	4.76810
64	कन्नौज	-तदैव-	0.09520	1.52270	0.28550	1.90340
65	औरैया	-तदैव-	0.00830	0.13340	0.02500	0.16670
66	इटावा	-तदैव-	0.07260	1.16210	0.21790	1.45260
कानपुर मण्डल			**0.77400**	**12.38360**	**12.32180**	**25.47940**
67	अयोध्या	उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद)	0.97500	15.60040	2.92510	19.50050
68	अम्बेडकरनगर	उप दु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर	0.93690	14.99050	2.81070	18.73810
69	सुल्तानपुर	-तदैव-	0.56820	9.09020	1.70440	11.36280
70	अमेठी	-तदैव-	0.25580	4.09300	0.76750	5.11630
71	बाराबंकी	उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद)	1.24340	19.89440	3.73020	24.86800
अयोध्या मण्डल			**3.97930**	**63.66850**	**11.93790**	**79.58570**
72	गोण्डा	उप दु0वि0अ0 गोण्डा	1.34670	21.54680	4.04010	26.93360
73	बलरामपुर	-तदैव-	0.15700	2.51270	0.47110	3.14080
74	श्रावस्ती	उप दु0वि0अ0 बहराइच	0.13400	2.14430	0.40210	2.68040
75	बहराइच	-तदैव-	0.54960	8.79370	1.64880	10.99210
देवीपाटन मण्डल			**2.18730**	**34.99750**	**6.56210**	**43.74690**
कुल योग			**50.00020**	**799.99820**	**150.00160**	**1000.00000**

(रू0 दस करोड़ मात्र)

ह0/-

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।